न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 30/2025 GCMS No.—2025/54

मैसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर मामटोरी खुर्द, तहसील शाहपुरा, जरिये भागीदार हरिओम सिंह पुत्र श्री भागमल सिंह, निवासी कंवरपुरा, कोटपूतली, जिला कोटपूतली, राज0।

...अपीलांटस

बनाम

1. लक्ष्मी देवी पुत्री नन्दलाल जाति बलाई, निवासी नवलपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
2. मैसर्स मधुसूदन स्टोन क्रेशर मामटोरी खुर्द, तहसील शाहपुरा, जयपुर।
3. कालूराम पुत्र भैरूराम जाति अहीर नवलपुरा हाल निवासी मामटोरी खुर्द तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार महोदय शाहपुरा जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश दिनांक 08.07.2024 उनवानी लक्ष्मी देवी बनाम बालाजी स्टोन क्रेशर प्रकरण संख्या 03/2023 न्यायालय तहसीलदार महोदय शाहपुरा के विरूद्ध

———————

उपस्थितः–

1. श्री सुनील कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश बागडा उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 13.10.2025

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, शाहपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 03/2023 बउनवानी लक्ष्मी देवी बनाम मैसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर अर्न्तगत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधि0 में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2024 से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.04.2025 को न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश बागडा उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 व 3 को रजि0 नोटिस जारी किये गये, रेस्पा0 संख्या 2 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आयाा। रेस्पा0 संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। रेस्पाडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2024 तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ग्राम मामटोरी खुर्द तहसील शाहपुरा स्थित भूमि

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

खसरा नंबर 747/2 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 748/2 रकबा 0.32 हैक्टेयर औद्योगिक प्रयोजनार्थ सहपरिवर्तन आदेश करवाकर अपीलांट उक्त आराजीयात में संपरिवर्तन आदेश करवाकर व्यवसाय कर रहा है। उक्त भूमि अपीलांट द्वारा रेस्पाडेन्ट लक्ष्मी देवी के पिता नन्दालाल के द्वारा संपरिवर्तन आदेश के पश्चात कय की गयी है तभी से अपीलांट उक्त भूमि पर रिकॉर्ड अनुसार कब्जा कर अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की उक्त कब्जे व रिकॉर्ड का बिना अवलोकन देखे ही विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट अपनी उक्त आराजीयात खसरा नंबर 220/2, 747/2, 748/2 पर चारों ओर से बाउण्ड्रीवाल बनाकर 6–6 उंची दीवारे लगाकर उक्त भूमि पर अपना व्यवसाय कर रहा है जिसमें किसी भी पक्षकार को कोई परेशानी नहीं है। रेस्पा0 द्वारा अपीलांट को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया है एवं अपीलांट को उसके व्यवसाय में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से अधीनस्थ न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी समस्त दस्तावेज उपलब्ध करवा दिये गये थे किन्तु पटवारी हल्का द्वारा साज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आराजीयात का रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेजो को जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जबकि वास्तविकता में अपीलांट जितनी भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है उतनी ही भूमि पर कब्जा है। अपीलांट द्वारा नक्शा दुरूस्ती के संबंध में भी वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा में विचाराधीन है। नक्शा दुरूस्ती के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय को 183 बी की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इसलिए अपीलांट के नक्शा दुरूस्ती के दावे में अन्तिम निर्णय तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2024 खारिज किया जावे। अपीलांट द्वारा दिनांक 01.04.2025 को पटवारी के पास नकल ली गई तब पटवारी महोदय द्वारा बताया गया कि आपकी भूमि से संबंधित प्रकरण में न्यायालय द्वारा आदेश पारित दिनांक 08.07.2024 को कर दिया गया है। जिसके पश्चात अविलम्ब अपीलांट द्वारा माननीन न्यायालय में अपील पेश की गयी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 03/2023 बउनवानी लक्ष्मी देवी बनाम मैसर्स बालाजी स्टोन में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2024 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने कथन किया कि रेस्पा. संख्या 1 की खातेदारी भूमि ग्राम मामटोरी खुर्द, तहसील शाहपुरा में स्थित है। अपीलांट ने रेस्पा0 की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया जिसका उसको कोई हक व अधिकार नहीं था। जिसके संबंध में रेस्पा0 द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 183 बी

राज. काश्तकारी अधिनियम पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए दिनांक 08.07.2024 को अपीलाधीन आदेश पारित किया है। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट मे भी रेस्पा0 की खातेदारी भूमि पर अपीलांट कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी की कार्यवाही की गयी है जो न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पा. संख्या 4 तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 183बी अर्न्तगत राज0 काश्तकारी अधि0 स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को ग्राम मामटोरी खुर्द, तहसील शाहपुरा स्थित रेस्पा0 संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 183 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 220/1 रकबा 0.41 है0, ख.न. 747/1 रकबा 0.18 है0, ख.न. 748/1 रकबा 0.08 है0, ख.न. 750 रकबा 0.10 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.99 है0 पर प्रार्थना पत्र के अनुसार बेदखली के आदेश दिनांक 08.07.2024 को पारित किये गये। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन नहीं किया एवं अपीलांट अपनी कयशुदा भूमि पर ही काबिज है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पाडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलांट को नोटिस जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2024 को उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का को पत्रांक 787–788 दिनांक 19.07.2023 द्वारा विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया। जिसके कम में पटवारी हल्का मामटोरी खुद एवं गिरदावर हल्का की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 20.07.2023 अनुसार ग्राम मामटोरी खुर्द के खसरा नंबर 183, 220/1, 747/1, 748/1, 750 कुल किता 5 कुल रकबा 0.99 हैक्टैयर के वर्तमान जमाबंदी रेस्पाडेन्ट संख्या 1 एवं मन्नी देवी पत्नी नन्दलाल, रजनी देवी हिस्सा प्रत्येक 1/3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है मौके पर खसरा नंबर 183 रकबा 0.22 है0 पर कालूराम पुत्र भैरूराम जाति अहीर तथा खसरा नंबर 220/1, 747/1 कुल किता 2 रकबा 0.59 है0 पर अपीलांट मैसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर एवं मधुसूदन स्टोन क्रेशर ने

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

झुग्गी झोपडी व मलबा डालकर कब्जा कर रखा है। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा उभय पक्षों की दिनांक 03.07.2024 को बहस सुनने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वर्तमान जमाबन्दी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाधीन आराजीयात रेस्पाडेन्ट संख्या 1 एवं रजनी देवी, मन्नी देवी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है जिसके संबंध में कोई ऐतराज अपीलांट द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किया गया एव ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष कोई ऐतराज अपीलांट द्वारा किया गया है। वर्तमान में अपीलाधीन आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पाडेन्ट के नाम से दर्ज है एवं रेस्पाडेन्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी तहसीलदार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की खातेदारी भूमि से अतिक्रमी को बेदखली की समरी कार्यवाही के प्रावधान उपलब्ध कराती है एवं इसमें अधिकारों का विनिश्चयन नहीं होता है। इसलिए प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के तहत पारित आदेश दिनांक 08.07.2024 न्यायोचित प्रतीत होता है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा नियमानुसार उभयपक्षों की सुनवाई कर प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना जाहिर होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर